न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 220/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/381

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.छगनाराम पुत्र मोतीराम		1.देवी पत्नी नथमल बाफना
2.पुनमाराम पुत्र मोतीराम		जाति ओसवाल निवासी बालोतरा
जाति मेघवाल निवासी बिठूजा		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		2.मंजूदेवी पत्नी मदनलाल
		जाति ओसवाल निवासी रबारियों का टांका
		बालोतरा तहसील पचपदरा
		3.नगर आयुक्त नगर परिषद बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3. श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02
4. विप्रार्थी संख्या 03 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 23.09.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डाबी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतानामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किए जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी के संबध में आवेदन–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर लाया है,जो निरस्त योग्य है,क्योंकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है,इसके विपरीत प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर झगड़ा फसाद करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण को हस्तगत आवेदन पेश किए जाने से पूर्व सीमाज्ञान कार्यवाही करवानी चाहिए थी,जिससे पता चले कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर वाद–विवाद है अथवा नहीं। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही के बिना माननीय न्यायालय में आवेदन पेश कर दिया गया,जो कि प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण के विरूद्व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा है,जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन चल नहीं सकता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सभी सेढा पड़ौसी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है,क्योकि विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दखलदान्जी करने का प्रश्न ही नहीं बनता है। विप्रार्थी का खसरा संख्या 635/57 है,जिसकी किस्म गैर मुमकिन उधोग है। विप्रार्थी की भूमि के चारो तरफ चारदीवारी की हुई है तथा औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग–उपभोग हो रहा है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत सीमाओं को लेकर विप्रार्थी द्वारा कभी विवाद नहीं किया गया। इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की भूमि में विवाद किए जाने पर विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व सिविल वाद दायर करवाया गया,जिसमें स्थगन आदेश विप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया। प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 03 की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड सहखातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा–सीमाज्ञान रिपोर्ट इत्यादि पेश नहीं की गई,जिससे साबित हो कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1247/56 क्षेत्रफल 1.6106 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23·09·2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा